THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH).: (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

प्रतिबन्धित कीटनाशकों का प्रयोग

1710. **श्री शरद यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अपने देश में उन कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जिसके इस्तेमाल पर पाश्चात्य देशों और अमेरिका में प्रतिबंध लगा है, यदि हां, तो ऐसे कीटनाशकों के क्या नाम हैं और किन कारणों से ऐसे कीटनाशकों के प्रयोग की अनुमति दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) जी, हां । कुछ कीटनाशक दवाएं, जिनके इस्तेमाल पर पाश्चात्य देशों और अमेरीका में प्रतिबंध लगा है, हमारे देश में प्रयोग की जा रही हैं । भारत में प्रयोग के लिए मंजूर की गई कीटनाशक दवाओं जो अमेरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित (नियंत्रित की गई हैं, के नाम नीचे सारणी में दिये गये हैं :

क्रम सं०	कीटनाशी दवायें	अमेरीका में ई० पी० ए० के अनुसार स्थिति	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में स्थिति	भारत में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बी० एस० सी०	निरस्त	प्रतिबंधित	अनुमोदित
2	सोडिए साइनाईड	निरस्त	—	सीमित प्रयोग के लिए मंजूर किया गया ।
3	डाइल्ड्रोन	निरस्त	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित
4	एल्ड्रीन	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	अनुमोदित
5	क्लोर्डेन	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	अनुमोदित
6	नेप्ता क्लोर	प्रतिबंधित	—	अनुमोदित
7	2, 4–डी	प्रतिबंधित	—	अनुमोदित
8	क्लोर बेंजिलेट	प्रतिबंधित	—	अनुमोदित
9	डी० डी० टी०	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	अनुमोदित
10	लिडेन	प्रतिबंधित	—	अनुमोदित
11	ई० डी० बी०	प्रतिबंधित	—	प्रतिबंधित

कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अधिक उपज देने वाली किस्मों की फसलों की उत्पादन क्षमता बनाए रखने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत रोगवाहक नियंत्रण के लिए भी अनिवार्य है । यह समझा जाता है कि उपर्युक्त कीटनाशक दवाएं न केवल विष–वैज्ञानिक कारणों के कारण प्रयोग में निरस्त।प्रतिबंधित की गई हैं बल्कि इसके पीछे स्थानीय पर्यावरण संबंधी पहलू भी हैं । जो किसी विशेष देश की विशिष्टता के कारण होते हैं । वे एक देश से दूसरे देश में भिन्न-भिन्न होते जाते हैं ।

पंजीकरण समिति, जिसे सुरक्षा की देखरेख और उनके कीटनाशी दवाओं की जैव-क्षमता और उनके हानिरहित होने की देख-भाल करने का कार्य सौंपा गया है, उनकी जांच करती है और उचित प्रबंध लगाती है । इसके अतिरिक्त, आवश्यकता होने पर आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत भी बनाए गए हैं ।